

दिनांक :- 16-07-2020

कॉलेज का नाम :- मारवाड़ी कॉलेज दरभंगा

लेखन का नाम :- डॉ. फारूक आज़म (अतिथि शिक्षक)

स्नातक :- द्वितीय सैड (कला)

विषय :- प्रतिष्ठा इतिहास

संकाई :- ग्यारह

पत्र :- चतुर्थ

अध्याय :- ग्यांग कार्ड - शेफ

③ आर्थिक सुधार :- ग्यांग कार्ड शेफ ने आर्थिक सुधार की ओर भी ध्यान दिया टी.सी. सुंग (T. C. Song) की अध्यक्षता में अर्थविभाग का पुनर्गठन किया गया सुंग ने राजकीय आय को बढ़ाने का प्रयत्न किया प्रशासकीय व्यय में कमी करने का पूर्ण प्रयत्न किया गया कृषि और उद्योग विकास शंखों के विकास पर ध्यान दिया गया रुई तथा

तथा-चना की नई श्वेती की जान लगी। चाय और
सिल्क की उपज बढ़ाई गई। विदेशों में भी इनका
निर्यात किया जाने लगा। चीनी सिल्क की सर्वाधिक
बिक्री अमरीका तथा यूरोप में होने लगी थी। चीन के
सिल्क की प्रसिद्धि इतनी अधिक हुई कि अमरीका
काश्क जीवविज्ञान का विद्वान चीन आकर सिल्क के
कीड़ी को अपने देश ले गया। पश्चिमी देशों की
तरह शंघाई, हांगकौ आदि में फल-कारखाने खोले
गए। 1925 को ही राष्ट्रीय पुनर्निर्माण आयोग,
राष्ट्रीय अर्थ परिषद् एवं प्रधान अर्थसंकर्षकार्य
लय की स्थापना हो चुकी थी। चीन के चार प्रमुख
बैंकों - सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना, दि बैंक ऑफ चाइना,
दि बैंक ऑफ कम्युनिकेशन तथा फार्मर्स बैंक
ऑफ चाइना को नया धापन का अधिकार दे दिया
गया।

इन बैंकों से अब सरकार को कर्ज भी मिलने लगे
मुद्रा पद्धति में सुधार लाने के लिए रेकमैशन
की निष्पत्ति की गई।

④ चांदायात के साधन- आवागमन की सुविधा पर भी
ध्यान दिया गया। रेलमार्गों के निर्माण के लिए पुथक्रेल
विभाग खोला गया। चीन की केंद्रीय और प्रांतीय रेलवे
इसके अधीन कर दी गई। हूनान, क्वॉंसी और चिकी
चांग में रेलवे अनेक सड़कों का निर्माण किया गया।
इन सड़कों का निर्माण शांति संस्थापन तथा पुष्ट सैन्य
का दोनों दृष्टियों से किया गया। हवाई जहाज भी उड़ानें
लगीं। विदेशियों द्वारा कई वायु कंपनियाँ खोली गईं जिनका
काम जहाज का निर्माण करना था। कई नाविक कंपनियाँ
भी खोली गईं। पोस्ट ऑफिस का पुनर्गठन किया गया।
डाकघर, टेलीफोन, तार आदि का भी पुनर्गठन किया गया।

(5) कानून व्यवस्था में सुधार-1929 में 1931 के बीच चीन में एक नया कानून संग्रह निर्मित हुआ। जो मुख्यतः दीवानी मामलों से सम्बद्ध था। यह कानून संग्रह फ्रांस और जर्मनी की कानूनी पद्धति से बहुत अधिक प्रभावित था। व्यावसायिक और औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित अनेक कानून बनाए गए। मजदूरों के कल्याण के लिए भ्रम कानून बनाए। कानून बना कर अफीम के सेवन पर रोक लगा दी गई। आधुनिक ढंग की कचहरियाँ स्थापित की हुई नानकिंग में एक उच्चतम न्यायालय स्थापित किया गया। आधुनिक ढंग के कारागार भी बनाए गए।

(6) सैनिक पुनर्गठन:- च्यांगकाई शैक ने सैनिक पुनर्गठन के लिए जर्मन सैन्य विशेषज्ञों को आमंत्रित किया। 1929 में च्यांग ने मैक्स वीनर को अपना सलाहकार नियुक्त किया।

अप्रैल, 1920 में इसी के परामर्श से क्वांसी के सेनापतियों को पराजित कर हांकी पर अधिकार किया गया। 1931 के बाद चीन में एक जर्मन सैनिक मंडल की स्थापना की गई। 1935 में फॉन सीब्ट नामक एक चौबथ जर्मन सेनापति को जर्मन सैनिक मंडल के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। उसने चीनी सेना का संगठन जर्मन सेना के नमूने पर किया और उसे अस्त्र-शस्त्र से सुसज्जित किया। 1935 में ही वह चला गया, परंतु उसने कुछ जर्मन विशेषज्ञों को चीन में छोड़ दिया जो द्वितीय विश्व युद्धकाल तक चीन में बने रहे।
- जॉर्ज कार्ड शेफ ने सुधार के कुछ काम तो अवश्य किए, किंतु इनसे आम लोगों की कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। डॉ. सनयात सेन के अजीबक सिद्धांत के अनुसार न तो भूमिका समान विवरण किया गया और न पूंजी पर नियंत्रण ही डाला गया। उत्पादन पर भी कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया।

अतः कुओमिनतांग दल के तीसरे मूलमंत्र आजीविका सिद्ध
की तिलांजलि दे दिया गया। चीन की जनता की मौलिक
कठिनाइयाँ जो की ली खनी रही। अतः चपौंग काई शेक
के सुधारों के संबंध में यह ठीक ही कहा जाता है। चपौंग
के अनुसार पूँजीवादी राज्य के विभिन्न सुधार कार्यक्रम
जो जिनसे निर्धन आम लोगों की आवश्यकताओं की
कोई पूर्ति नहीं हुई।

विदेश नीति (1919-1932)

रूस में संधि-1917 में रूस में बोल्शेविक क्रांति के फलस्वरूप
सबसे पहली साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी। इस
समय चीन के अनेक नेताओं ने रूसी अधिकृत रूप
प्रभाव क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया था। चीन का
सरकार ने वाक्सर आन्दोलन के पश्चात् चीन की गई
क्षतिपूर्ति की शर्तों की क्रिश्त 1920 में ही रूस को देना

बंद कर दिया था। चीन जनता की सहायु भूति प्राप्त करने तथा साम्यवाद का प्रचार करने के लिए रूस ने अपने समस्त अधिकार स्वेच्छा से त्याग देना और एक नवीन संधि कर लेना ही अधिक अथरूप समझा। अतः रूस और च्यांग काई शेक की सरकार के बीच 22 दिसम्बर 1929 को एक संधि हुई। इसके अनुसार रूस ने चीन में राज्यक्षेत्रातीत अधिकार त्याग दिये, अर्थात् मणिष्य में चीन में निवास करने वाले किसी नागरिकी के मुकदमों का फैलना चीनी न्यायलय द्वारा, चीनी कानून द्वारा किया जायगा।

वाशिंगटन सम्मेलन (11 नवम्बर 1921) अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जब भी अवसर प्राप्त होता, चीनी प्रतिनिधि अपनी माँग रखते थे। वावकी पेरिस शांति सम्मेलन में उन्हें कुछ भी नहीं मिला था। शीघ्र ही उन्हें यह अवसर 1921 के वाशिंगटन सम्मेलन में मिला।